पंचदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.02.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री दिनकर राम, स०वि०स० डा० अच्युतानन्द, स०वि०स० श्री रामायण मांझी, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, स०वि०स० श्री राम सूरत राय, स०वि०स० श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स०	"सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा प्रखंड के ग्राम टोला बघमरी शिवनगर के श्री भोला सहनी की पुत्री रानी कुमारी एवं ईश्वर महतो की पुत्री नीलम कुमारी उच्च विद्यालय, पुरवहिया से पढ़कर साइकिल द्वारा घर लौट रही थी । बर्षात का पानी हो रहा था एकाएक लखनदेई नदी का पानी उछाल मारने लगा, जिसमें उक्त दोनों लड़कियाँ डूबकर मर गयी । इस संबंध में स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया परन्तु किसी तरह की राहत नहीं मिली । अत: उक्त दोनों परिवारों को मुआवजा के रूप में तीन-तीन लाख रूपया एवं आश्रित को सरकारी नौकरी देने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	आपदा प्रबंधन

1	2	3	4
2.	डा० फैयाज अहमद, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स०	"ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता, दरभंगा अंचल द्वारा सभी प्रमंडलों के निविदा निष्पादन में भारी अनियमितता बरती जा रही है । अपने कार्यालय के कर्मी श्री सुभाष कुमार को इन्होंने बिचौलिया बनाकर निविदा संबंधी सभी आवश्यक कागजात को बिना जांच किये अपनी मर्जी से निविदा निष्पादित किया जिसकी शिकायत पर दिनांक-04.01.2014 को विभागीय सचिव द्वारा जांच करने पर आरोप सत्य पाया गया । अधीक्षण अभियंता के अनियमित कार्य-कलाप की जांच करने के बाद कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-2362, दिनांक-26.06.2013 द्वारा सरकार को लिखा गया है । पुनः पत्रांक-38, दिनांक-08.01.2014 द्वारा स्मारित किया गया है । उक्त अधीक्षण अभियंता के पूर्णिया पदस्थापन काल में सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा भी इनके विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग को लिखा गया परन्तु कोई भी कार्रवाई नहीं हुई । इसके कारण सरकारी राजस्व की हानि एवं अवैध धनोपार्जन जारी है । बिचौलिया श्री कुमार द्वारा मात्र 12 वर्षों की सेवावधि में खराजपुर, लहेरियासराय में करोड़ों रूपये का मकान एवं अकूत सम्पत्ति अर्जित किया गया है । अतएव अधीक्षण अभियंता के कार्यकाल में कराये गये सभी कार्यों एवं उनके साथ-साथ श्री कुमार की सम्पत्ति की जांच आर्थिक अपराध इकाई से कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण कार्य

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/14- 405 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18.2.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-04/14- 405 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

18.2.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।